

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/8213

जबलपुर, दिनांक 28/11/2024

निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के पद पर वेतनमान रूपये 4440-7440 + ग्रेड पे रू. 1300/- (7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदोन्नत करते हुये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदोन्नत पदनाम	रिमार्क
1	2	3	4
1.	श्री सौरभ कश्यप आत्मज श्री घनश्याम कश्यप	नवगठित सेवा के सदस्य	रिक्त पद पर
2.	कु. आयुषी ठाकुर आत्मजा श्री अमर सिंह ठाकुर	नवगठित सेवा के सदस्य	रिक्त पद पर
3.	श्री अरूण कुमार सेन आत्मज श्री राम करन सेन	नवगठित सेवा के सदस्य	रिक्त पद पर



(धरमिन्दर सिंह)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन C/8214

जबलपुर, दिनांक 28/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 4. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.), स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटो., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 8. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. श्री सौरभ कश्यप आत्मज श्री घनश्याम कश्यप, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 10. कु. आयुषी ठाकुर आत्मजा श्री अमर सिंह ठाकुर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 11. श्री अरूण कुमार सेन आत्मज श्री राम करन सेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)